मुख्यमंत्री ने यूएई को ऊर्जा, हॉस्पिटैलिटी क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया

उन्होंने यूएई के पर्यटन मंत्री के साथ जयपुर में टूरिज़्म एवं इन्वैस्टमैंट राउन्ड टेबल में भाग लिया

जयपुर, 20 अगस्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को जयपुर के रामबाग पैलेस होटल में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अर्थव्यवस्था एवं पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक-अल-मरी के साथ यूएई-राजस्थान टूरिज़्म और इन्वेस्टमेंट राउंड टेबल बैठक में शिरकत की।

- यूएई के अर्थव्यवस्था एवं पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक-अल मरी ने कहा कि यूएई की कंपनियां राजस्थान व हॉस्पिटैलिटी में निवेश करने के लिए इच्छुक हैं। हम जयपुर और दुबई के बीच हवाई सेवाओं को और बेहतर बनाना चाहते हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रामबाग पैलेस होटल में यूएई के पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक-अल-मरी के साथ यूएई-राजस्थान टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट राउंड टेबल बैठक में भाग लिया। इस दौरान बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, पर्यटन शासन सचिव शुचि त्यागी, धामानी ग्रुप के सीईओ अमित धामानी, लैंडमार्क ग्रुप के सीईओ राज राणा सहित यूएई-राजस्थान के हॉस्पिटिलिटी क्षेत्र के प्रतिनिधिगण मौजूद रहे।

इस दौरान उन्होंने यूएई को राजस्थान में ऊर्जा, हॉस्पिटैलिटी सहित, विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किले, महल, हवेलियों, रेगिस्तान, अभ्यारण्य, जैम्स एंड ज्वेलरी, हैंडिक्राफ्ट, टैक्सटाइल्स, खनिज से समृद्ध राजस्थान में यूएई की कंपनियों के लिए निवेश की अपार संभावनाएं हैं। राजस्थान में निवेश के लिए प्रदेश सरकार हर संभव सहयोग करेगी।

मुख्यमंत्री ने यूएई नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि खाड़ी संकट के दौरान यूएई ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा और आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा। उन्होंने कहा कि भारत और यूएई नेतृत्व के रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं।

यूएई के अर्थव्यवस्था एवं पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक-अल-मरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के रिश्ते बेहद खास हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार और यूएई के मध्य कॉम्प्रिहेन्सिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (सीईपीए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

अब्दुल्ला बिन तौक-अल-मरी ने भारत के प्रति अपने लगाव को रेखांकित करते हुए कहा कि यहां के व्यंजन अद्भुत हैं, विशेषकर राजस्थान की काजूकतली। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटिलिटी का राजस्थान की तरह ही यूएई में बड़ा योगदान है। यूएई की कंपनियां राजस्थान के हॉस्पिटैलिटी में निवेश करने को इच्छुक हैं। साथ ही, हम जयपुर और दुबई के बीच हवाई सेवाओं को और बेहतर बनाना चाहते हैं।

वरिष्ठ पत्रकार श्रीनंद झा की माताजी का निधन

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 अगस्त। राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो के वरिष्ठ सदस्य श्रीनंद झा की माता श्रीमती सीता झा का गुरुवार सुबह निधन हो गया।

उन्होंने नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में अंतिम सांस ली। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, वह पिछले कुछ महीनों से गंभीर रूप से बीमार थीं। श्रीनंद झा एक जाने-माने पत्रकार हैं और करीब चार दशकों से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उनके बड़े भाई डॉ. अजयानंद झा प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन हैं। उनकी एक बहन भी हैं। गुरुवार शाम नोएडा में परिवार के सदस्यों, मित्रों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार किया गया, सभी लोग दिवंगत आत्मा को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए थे।

- श्रीनंद झा की माता श्रीमती सीता झा ने दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में अंतिम सांस ली, वे गत कुछ महीनों से काफी बीमार थीं।

राष्ट्रदूत परिवार श्रीमती सीता झा के दुखद निधन पर शोक व्यक्त करता है और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। हम ईश्वर से यह भी प्रार्थना करते हैं कि वह शोक संतप्त परिवार को इस अपूरणीय क्षित को सहन करने की शक्ति और साहस प्रदान करें।

विपक्ष की गैरमौजूदगी में शुरु हुआ राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र

शोकाभिव्यक्ति और 2 विधेयक सदन में पेश होने के बाद स्थगित हुई सदन की कार्यवाही

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर, 20 अगस्त। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र में सदन की कार्यवाही गुरूवार को विपक्ष की गैरमौजूदगी में शुरू हुई। कांग्रेस ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करके सड़कों पर आंदोलन किया। वहीं, सदन के भीतर विधानसभा के पहले दिन कार्यवाही की शुरुआत शोकाभिव्यक्ति के साथ हुई।

- स्पीकर देवनानी ने कहा, ''विपक्ष की खाली कुर्सियां देखकर मुझे पीड़ा हुई, विपक्ष को यहाँ आकर जनता के मुद्दे उठाने चाहिए थे।''

सदन में पूर्व राज्यपाल डी.वाई. पाटिल, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन. भास्कर राव सहित, पूर्व सांसद-विधायक विष्णु मोदी, पूर्व सदस्य ब्रह्मदेव कुमावत, बाबूलाल बैरवा और नवनीत लाल निनामा को श्रद्धांजलि दी गई।

इसके बाद विधायी कार्य के तहत उपमुख्यमंत्री डॉ. पीसी बैरवा ने गीतांजलि ग्लोबल विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक, 2026 सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने राजस्थान वृक्ष संरक्षण विधेयक, 2026 पेश किया। पहले दिन की कार्यवाही पूरी होने के बाद 11 बजकर 21 मिनट पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदन की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

सदन में विपक्ष की खाली कुर्सियां देखकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों को सदन में रखने का विपक्ष को पूरा अधिकार है और उसे अपनी बात विधानसभा के भीतर ही रखनी चाहिए। देवनानी ने कहा कि विपक्ष के पास सरकार से सवाल पूछने और जनहित के मुद्दे उठाने का पूरा अवसर और अधिकार है। ऐसे में सदन की कार्यवाही से दूर रहने के बजाय विपक्ष को सदन में उपस्थित होकर अपनी बात रखनी चाहिए।

उधर सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने विपक्ष की गैरमौजूदगी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि विपक्ष का बिना किसी कारण सदन में नहीं आना समझ से परे है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि संभवत: विपक्ष इसलिए सदन में नहीं आया, क्योंकि उसे वंदे मातरम् के गायन में शामिल होना पड़ता।

संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि विपक्षी सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के सदन में अनुपस्थित रहे। विधानसभा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेताओं से चर्चा हुई थी और राजस्थान विधानसभा की गौरवपूर्ण परंपराओं का पालन करते हुए सदन की कार्यवाही में सक्रिय भागीदारी पर सहमति बनी थी। पटेल ने कहा कि पहले से हुई सहमति के बावजूद विपक्ष का सदन में नहीं आना उचित नहीं है।

वंदे मातरम् के दो ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राजनीति अब नहीं चलेगी। भाजपा कांग्रेस के इस फैसले की निंदा करती है।'' कांग्रेस कार्य समिति का यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय गीत के पूर्ण गायन को आधिकारिक प्रोटोकॉल का हिस्सा बना दिया है।

इसके जवाब में कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया कि वंदे मातरम् के केवल पहले दो अंतरे गाने के अपने फैसले पर पार्टी पूरी तरह कायम है और वह इस संबंध में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिखाए गए रास्ते पर ही चलेगी।

यह फैसला कांग्रेस कार्य समिति द्वारा एक दिन पहले लिया गया था, कांग्रेस कार्य समिति ने 1937 में लिए गए अपने फैसले से स्थापित परंपरा को जारी रखने का संकल्प लिया था। इसके तहत कांग्रेस के कार्यक्रमों में वंदे मातरम् के केवल पहले दो अंतरे गाए जाते हैं।

यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय गीत के पूर्ण गायन को अधिकारिक प्रोटोकॉल का हिस्सा बना दिया है।

मिर्ज़ा फखरुल इस्लाम बांग्लादेश के नये राष्ट्रपति चुने गये

ढाका, 20 अगस्त (हि.स.)। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के उम्मीदवार मिर्ज़ा फखरुल इस्लाम आलमगीर गुरुवार को बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति चुन लिए गए। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में अपने एकमात्र प्रतिद्वंद्वी-जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 दलों के गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल (रि.) ओली अहमद को भारी अंतर से हराया। मिर्ज़ा फखरुल इस्लाम को 255 वोट, जबकि ओली अहमद को 88 वोट मिले। सरकारी न्यूज एजेंसी बीएसएस न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव अधिकारी एएमएम नासिर उद्दीन ने संसद के कक्ष में मतदान के बाद चुनाव नतीजों की घोषणा की। कुल 349 पंजीकृत वोटरों के लिए 349 बैलेट पेपर छापे गए, जबकि इनमें से 343 बैलेट पेपर का इस्तेमाल हुआ। 349 वोटरों में से छह सांसदों ने राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डाला।

प्रधानमंत्री मोदी ने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी

नई दिल्ली, 20 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर याद किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि।

- सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका श्रद्धांजलि देने समाधि स्थल पर गए।

दिवंगत नेता के परिवार के सदस्य, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा श्रद्धांजलि देने के लिए राजीव गांधी के समाधि स्थल वीरभूमि पहुंचे। राजीव गांधी को लोकसभा अध्यक्ष और रक्षामंत्री ने भी याद किया। वीरभूमि में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ पहुंचे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने राजीव गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करके याद किया। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने राजीव गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक्स पर लिखा, ''पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की जयंती पर उन्हें भावपूर्ण नमन।'' रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा, ''भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत की विकास यात्रा में उनका भी अहम योगदान रहा है।''

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की बेंच लद्दाख में स्थापित होगी

नई दिल्ली, 20 अगस्त। केन्द्र सरकार ने लद्दाख के दूरदराज के इलाकों में न्याय की त्वरित पहुंच के लिए वहां उच्च न्यायालय की एक बेंच स्थापित करने का फैसला किया है। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को मंत्रिमंडल के इस फैसले की घोषणा की। उन्होंने कहा कि है कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

गृह मंत्री ने एक्स पर कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की एक बेंच स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे लद्दाख के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच में उल्लेखनीय सुधार होगा और उन्हें मिलने वाली कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा।

झारखंड, सिविल सेवा परीक्षा की नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर रोक

झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार व जेपीएससी से जवाब मांगा

रांची, 20 अगस्त। झारखंड सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर नियुक्त कर्मियों को हटाने के आदेश को चुनौती देने वाली तीन अलग-अलग याचिकाओं पर गुरुवार को झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति दीपक रौशन की अदालत ने जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्तियां रद्द करने के सरकार के आदेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अदालत ने मामले में राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता अमृतांश वत्स और अधिवक्ता पीएएस पति ने पक्ष रखा।

- अदालत ने यह फैसला तीन अलग-अलग याचिकाओं पर लिया।

दो अलग-अलग याचिकाओं में दीपमाला एवं अन्य तथा सोनम कुमारी ने सरकार की उस अधिसूचना को चुनौती दी है, जिसमें जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा के विज्ञापन संख्या 1/2024 को रद्द करने का आदेश दिया गया है। वहीं, एक अन्य याचिका में सौरव सिंह एवं अन्य ने जेपीएससी की ओर से आयोजित फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा (विज्ञापन संख्या 18/2023) के आधार पर की गई नियुक्तियों को रद्द करने के सरकार के आदेश को चुनौती दी है।

उल्लेखनीय है कि सीआईडी जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार ने 18 अगस्त की देर रात उन परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की थी, जिनमें टीडीपीएल शामिल रहा था। इसके साथ ही वर्ष 2014 से आयोजित सभी नियुक्ति परीक्षाओं में संभावित अनियमितताओं को देखते हुए जांच कराने की भी घोषणा की गई थी। उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद अब जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर नियुक्तियों को रद्द करने के सरकार के फैसले पर आगे की न्यायिक सुनवाई के बाद स्थिति स्पष्ट होगी।

'महाराष्ट्र के ड्राइवर एक महीने में मराठी सीखें'

मुंबई, 20 अगस्त (हि.स.)। महाराष्ट्र में कमर्शियल वाहन चालकों के लिए सामान्य मराठी की जानकारी जरूरी कर दी गई है। इस नियम को लागू करने के लिए पूरे राज्य में गुरुवार से जांच मुहिम शुरू की गई है। पहले दिन मराठी न बोल पाने वाले 1268 ड्राइवरों को नोटिस जारी किया गया। नोटिस जारी होने के बाद यदि एक महीने के अंदर संबंधित वाहन चालक मराठी नहीं सीख लेता तो उसका लाइसेंस और बैज तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। इसके बाद भी लगातार नियमों का उल्लंघन करने पर चालक का लाइसेंस और बैच रद्द किया जा सकता है।

- पहले दिन मराठी नहीं बोल पाने वाले 1268 ड्राइवरों को नोटिस भेजा।

लिव-इन रिलेशनशिप में परिजन दखल नहीं दें- हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 20 अगस्त। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि आपसी सहमति से बालिग लोगों के बीच लिव-इन रिलेशनशिप शादी जैसा ही है और उनकी पसंद में न तो माता-पिता और न ही दोस्त दखल दे सकते हैं या उनकी जान को खतरा पहुंचा सकते हैं। जस्टिस सौरभ बनर्जी की बेंच ने लड़की के परिवार से धमकियां झेल रहे एक लिव-इन जोड़े को पुलिस सुरक्षा दी। कोर्ट ने कहा कि बालिग होने और अपनी मर्जी से साथ रहने के कारण, उन्हें किसी के दखल के बिना अपनी पसंद के साथी को चुनने और उसके साथ रहने का पूरा अधिकार है।

कोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति से शादी करने वाले बालिग लोगों की शादी को उनकी जाति, पंथ, रंग, धर्म या आस्था से अलग मान्यता दी जाती है। कोर्ट ने कहा कि संविधान से मिले उनके मौलिक अधिकारों को सामाजिक नैतिकता और पूर्वाग्रहों के आधार पर सीमित करना, किसी व्यक्ति की अपनी निजी पहचान को छीनने जैसा है।

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता भले ही लिव-इन रिलेशनशिप में हैं और उन्होंने कानूनी तौर पर शादी नहीं की है, लेकिन बालिग होने और आपसी सहमति से साथ रहने के कारण यह रिश्ता शादी जैसा ही है।

भारत सरकार ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

टिप्पणी पर अमेरिका के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई थी। श्रीनगर की यात्रा के दौरान भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू-कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया था और घाटी में सुरक्षा स्थिति की भी सराहना की थी। इन टिप्पणियों से पाकिस्तान में नाराजगी पैदा हुई और उसने इस्लामाबाद में अमेरिकी प्रभारी राजदूत नताली बेकर को तलब कर विरोध दर्ज कराया। हालांकि, अभी तक इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर की गई यह कार्रवाई कश्मीर पर गोर की टिप्पणियों को लेकर इस्लामाबाद की प्रतिक्रिया से जुड़ी है।

सुप्रीम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी करेंगे।

न्यायमूर्ति रेड्डी के अलावा समिति में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा, दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश शालिंदर कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के पूर्व डीजीपी एल. आर. बिश्नोई सदस्य के रूप में शामिल होंगे।

सोनिया गांधी अपने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राजनेता के पीछे छिपी महिला की जिंदगी की एक दुर्लभ झलक पेश करने का वादा करती है। इसमें विश्व युद्ध के बाद के इटली में उनका बचपन, राजीव गांधी के साथ उनका प्रेम और विवाह, तथा उन गहरी व्यक्तिगत क्षतियों का जिक्र है, जिन्होंने अंतत: उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया।

यह पुस्तक ऐसे समय में आ रही है, जब सोनिया गांधी एक बार फिर सार्वजनिक और राजनीतिक चर्चा के केन्द्र में हैं। ऐसे में, जब उनकी निजी कहानी सामने आने वाली है, एक बड़ा सवाल उठता है: ''क्या भारतीय राजनीतिक चर्चाएं सोनिया गांधी के प्रति निष्पक्ष रही हैं?''

पूर्व सांसद सज्जन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हुआ था। संजय गांधी के करीबी माने जाने वाले सज्जन कुमार बाहरी दिल्ली क्षेत्र से कांग्रेस के मजबूत चेहरे थे। साल 1984 के सिख विरोधी दंगों में उन पर भीड़ को उकसाने और हत्या के आरोप लगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने 17 दिसंबर 2018 को पालम कॉलोनी मामले में उन्हें दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई।

'अभयारण्य के पास एन.एच. ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

याचिकाकर्ताओं द्वारा रिट याचिका इन तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए दायर की गई कि जिस क्षेत्र में ''रैस्ट एरिया'' का निर्माण करने के लिए जमीन अवाप्त की जा रही है वह सरिस्का अभयारण्य से एक किलोमीटर के भीतर है और उक्त क्षेत्र में राज्य सरकार के 2015 के आदेश के तहत, कोई भी व्यवसायिक गतिविधि नहीं की जा सकती।

न्यायाधीश आनंद शर्मा ने अपने आदेश में कहा है कि केन्द्र सरकार व एन.एच.ए.आई. के पास सामाजिक कार्यों के लिए जमीन अवाप्त करने का अधिकार है परंतु इस अधिकार में भी कानूनी बंदिशें लागू होती हैं और वर्तमान स्थिति में अभयारण्य के नजदीक अवाप्त की जा रही जमीन पर वन्य जीवन की सुरक्षा के लिए बनाये गये नियम-कायदे लागू होंगे।

उक्त मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अक्षय शर्मा पैरवी के लिए पेश हुए थे।

उल्लेखनीय है कि उक्त मामले में नेशनल हाईवे 248ए, जो शाहपुरा - अलवर से होकर गुजरता है, इस क्षेत्र में द्वारमाला गांव से गुजर रहे हाईवे के एक भाग पर एन.एच.ए.आई. द्वारा उक्त क्षेत्र में आ रहे हाईवे को चौडा कर एक ''रैस्ट एरिया'' के निर्माण हेतु अवाप्त करने के लिए 29 अक्टूबर 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया था।

- परंतु एन.एच.ए.आई. के अधिकारियों और उपखण्ड अधिकारी ने याचिकाकर्ताओं की शिकायत खारिज करते वक्त इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया।

जिसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने थानागाजी क्षेत्र के संभागीय आयुक्त को आपत्ति पेश की उक्त क्षेत्र सरिस्का अभयारण्य के प्रतिबंधित क्षेत्र में आता है जहां पर व्यवसायिक गतिविधि करना व निर्माण कार्य करना निषेध है। इस संबंध में वर्ष 2015 में राजस्थान सरकार द्वारा आदेश भी पारित किया गया था।

अदालत में वन विभाग व एन.एच.ए.आई. व अन्य संबंधित विभागों द्वारा दिये गये रिकॉर्ड से यह भी स्पष्ट हो गया कि उक्त प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए विकल्प के तौर पर कोई अन्य जमीन की सिफारिश प्रस्तुत करें। इस कमेटी ने बांधरोल गांव के खसरा नं. 1933 को रैस्ट एरिया के निर्माण के लिए ज्यादा उपयुक्त स्थान बताया था।

अदालत ने कहा कि इन सब तथ्यों को एन.एच.ए.आई. के अफसर उपखण्ड अधिकारी नज़रअंदाज़ किया, जिसकी वजह से हाईकोर्ट को इस मामले में हस्तपक्षेप करना पड रहा है। अदालत ने माना कि याचिकाकर्ताओं द्वारा यह मामला मुआवजे को घटाने-बढाने के निजी स्वार्थ से संबंधित नहीं है। यह पर्यावरणीय कानून की स्पष्ट अवहेलना कर रहे अधिकारियों की वजह से दायर की गई है।

इसीलिए अदालत ने स्थानीय उपखण्ड अधिकारी के 6 अक्टूबर 2025 के आदेश, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं की शिकायतें खारिज की गई थी, को रद्द कर दिया और कहा कि एन.एच.ए.आई. हाईवे की चौडाई बढ़ाने के लिए जमीन अवाप्त कर सकती है परंतु रैस्ट एरिया के निर्माण के लिए नही।

इंजीनियर ने रैस्ट एरिया के निर्माण के लिए विकल्प ढूंढने का प्रयास भी किया था। एक अन्य दस्तावेज से यह भी स्पष्ट हुआ कि याचिकाकर्ताओं की शिकायत पर वन विभाग ने भी सहमति जताई थी कि उक्त क्षेत्र में रैस्ट एरिया नहीं बनाया जा सकता। परंतु इन सब तथ्यों के उजागर होने के बावजूद एन.एच.ए.आई.ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को खारिज करने और जमीन अवाप्ति की प्रक्रिया को पूर्ण करने के आदेश भी दिये। इस आदेश के साथ ही संभागीय आयुक्त ने 6 अक्टूबर 2025 को उक्त जमीन की अवाप्ति के खिलाफ आई शिकायतों को खारिज कर दिया।

यहां यह भी गौर तलब है कि वन विभाग के द्वारा आपत्ति दर्ज करने के बाद स्थानीय जिला कलैक्टर ने एक कमेटी का गठन किया था, जो रैस्ट एरिया के

ओम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

संघ विभिन्न संभावित उम्मीदवारों पर विचार कर रहा है और ओम बिड़ला का नाम निश्चित रूप से चर्चा में है।

ओम बिड़ला एक समय वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते थे और कहा जाता है कि बिड़ला को उनके बारे में कई गोपनीय जानकारियां थीं।

बाद में बिड़ला ने अपना राजनीतिक रुख बदला और अमित शाह तथा नरेन्द्र मोदी के करीब आ गए।

भाजपा के लिए आगे का दौर भारी राजनीतिक उथल-पुथल वाला हो सकता है। संघ अमित शाह को टारगैट कर रहा है।

हाल में हुए संगठनात्मक फेरबदल ने यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि संघ किस दिशा में और क्यों आगे बढ़ रहा है और संगठन में उसका प्रभाव किस तरह बढ़ रहा है।

अगले प्रधानमंत्री की तलाश शुरू हो चुकी है, और इस पूरी राजनीतिक कवायद में बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे क्या रहते हैं।

ट्रंप ने ईरान का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दे रहा है, जो ईरान के साथ व्यापार जारी रखे हुए हैं। इसका मकसद ईरान पर और दबाव डालने के बजाय, उसकी सभी आपूर्ति लाइनों को काटना और देश की आर्थिक मुश्किलों को बढ़ाना है।

दुर्भाग्य से, ऐसे कदमों से ईरानी सरकार को सजा मिलने के बजाय, आम लोगों की परेशानियां ही बढ़ती हैं। देश के आम नागरिक जरूरी सामान की कमी से जूझ रहे हैं, बाहरी दुनिया तक उनकी पहुंच सीमित है और उन्हें तेजी से बढ़ती कीमतों तथा सामान की बढ़ती किल्लत का सामना कर रहे हैं।

ईरानी सरकार अपने नागरिकों को लगातार कष्ट दे रही है और उसका रवैया अधिक से अधिक तानाशाही और दमनकारी होता जा रहा है। सरकार को लोगों की परेशानियों की ज्यादा चिंता नहीं है, जब तक कि वह लोगों को इन तकलीफों को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सके।

ईरान के व्यापारिक या प्रमुख सहयोगियों को वास्तव में सजा देने में अमेरिका के सामने सबसे बड़ी बाधा चीन है। चीन ईरानी सामान का सबसे बड़ा खरीदार और ईरान को सामान उपलब्ध कराने वाला प्रमुख देश है। चीन की आपूर्ति लाइनें बेहद महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने ईरान की अर्थव्यवस्था को अब तक किसी तरह चलते रहने में मदद की है। अमेरिका के पास चीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के बहुत कम विकल्प हैं।

ईरान के लिए सबसे अहम कड़ियों में से एक है, ईरान और उसके विदेशी व्यापारिक साझेदारों के बीच होने वाला वित्तीय लेन-देन। चीन के बैंकों ने ईरान को वे वित्तीय संपर्क उपलब्ध कराए हैं, जिनसे पैसों का लेन-देन जारी रह सके।

अमेरिका चीन की कंपनियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा सकता है। लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की प्रस्तावित यात्रा नजदीक होने के कारण डॉनल्ड ट्रंप शायद ही ईरान के इन चीनी आर्थिक सहयोगियों श्पर कोई कार्यवाही करें। वैसे भी, आर्थिक और सैन्य, दोनों ही मामलों में चीन इतना ताकतवर है कि ट्रंप सीधे उससे सीधे उलझने की हिम्मत नहीं करेंगे।

इसके अलावा, चीनी कंपनियों को अमेरिकी बाजार से बाहर करके उनके व्यापार और कामकाज को रोकना ट्रंप के लिए बेहद नुकसानदेह साबित हो सकता है। अमेरिका में पहले ही कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और ईरान युद्ध में अमेरिका के शामिल होने से लोग नाराज़ हैं।

चूँकि अमेरिका में चुनावी मौसम चल रहा है, इसलिए ट्रंप इसके संभावित नतीजों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। अमेरिका के आम लोग अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं और इस नाराज़गी का असर आने वाले चुनावों के नतीजों पर भी पड़ सकता है।

ईरान के लिए चीन की शिपिंग सेवाओं ने भी इसी तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन जहाजों ने ईरान का तेल चीन तक पहुंचाया है और इस तरह देश की अर्थव्यवस्था को, जहां तक संभव हो सका, चलाए रखने में मदद की है। अमेरिकी इन चीनी जहाजों के खिलाफ बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते और न उन्हें निशाना ही बना सकते हैं।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- प्लाट नम्बर H1-4, इन्डस्ट्रीयल एरिया फैस प्रथम, जालौर, (राज.) फोन नम्बर 226422, 226423, जालौर। फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908